

न्यूनतम वृक्ष पातन हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा वन प्रभाग, वाराणसी के अन्तर्गत पाण्डेयपुर चौराहा से रिंग रोड आजमगढ़ मार्ग के चैनेज सं०-0.000 से 4.100 तक 4 लेन मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु जिला-वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित 4 लेन मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 4 लेन मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में वृक्षों के कम से कम पातन की वचनबद्धता दी जाती है।

Sugreeva Ram
31/5/22
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
वाराणसी